

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1543/1जी-FP/UK/ROAD/9811/2015 देहरादून: दिनांक 26 नवंबर, 2015

सेवा में,

अपर राजीव, वन

उत्तराखण्ड शासन

विषय:- जनपद चमोली में मैखोली से नलगांव-लखोड़ी वासीसे मोटर मार्ग निर्माण हेतु - 2.152 है 0 वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/RC 17/9811/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक प्रत्तिर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्रवाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव में प्रति है 0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
fepul

(एस0टी0एस0लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संलग्नक: उपरोक्त अनुसार

संख्या : / 1जी-FP/UK/ROAD/9811/2015 तददिनांकित

प्रतिलिपि:

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, देहरादून।
- वन संरक्षक, निदेशक, नंदादेवी जैवमण्डल आरक्षिति, गोपेश्वर।
- अपर संविधि, लोक निर्माण विभाग / पी.एम.जी.एस.वाई / राजस्व, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- जिलाधिकारी, चमोली।
- प्रभागीय अधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग।
- अधिशासनियंता, निर्खो, लोनिवि, गैरसैण।

(एस0टी0एस0लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा
भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:

जनपद चमोली में मैखोली से नलगांव-लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग निर्माण हेतु -
2.152 है० वन भूमि हस्तांतरण FP/UK/ROAD/9811/2015

- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत जाय और निर्दिष्ट सिफारिशों। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त प्रेजना हेतु केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग में 2.152 है० पंचायती वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है० इसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का समर्पित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग तथा वन संरक्षक, निदेशक, नंदा वीरमण्डल आरक्षिति, गोपेश्वर द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। अतः जनहित में, प्रेजना में प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्वांतिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०ले प्चा भा.व.से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं

नोडल अधिकारी उत्तर नोडल अधिकारी
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहर: वन संरक्षण भूमि संवेदन निदेशालय, उत्तराखण्ड

दहरादून

तिथि : 26/11/2015

स्थान: देहरादून

एस.एस. रसाईली, निदेशक/वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 03.11.2015 को जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित मैखोली से नलगांव-लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.152 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर निरीक्षण आख्या –

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 03.11.2015 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री सुरेन्द्र लाल, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौचर, उप प्रभाग एवं श्री प्रताप सिंह बुटोला, उप वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज साथ में रहे। मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण से पहले मार्ग का मानचित्र एवं उससे लाभान्वित होने वाली बसावट, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अध्ययन किया गया—

वैकल्पिक संरेखण का निरीक्षण:-

1. इस संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अधिक है।
2. इस संरेखण में अधिक संख्या में बांज वृक्षों का पातन हो रहा है।
3. इस संरेखण में अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है।
4. इस संरेखण में लाभान्वित होने वाली बसावट कम है।

प्रस्तावित संरेखण का निरीक्षण:-

1. वैकल्पिक संरेखण की तुलना में इस संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या कम है।
2. यह संरेखण भू-वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है।
3. इस संरेखण से लाभान्वित होने वाली बसावट वैकल्पिक संरेखण की तुलना में अधिक है।

निरीक्षण के दौरान मैखोली से नलगांव-लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण में बांज के 105 वृक्ष एवं अन्य प्रजातियों के 343 वृक्षों सहित कुल 448 वृक्ष प्रभावित होना पाया गया।

अतः प्रस्तावित संरेखण को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उपयुक्त पाया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है।

1. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पाये।
2. मोटर मार्ग निर्माण के लिये पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये।

3. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलवे को निर्धारित मक डिस्पोज क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाय।
4. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आसपास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये।
5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीवों का आखेट न होने पाये। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(एस.एस. रसाईली)
निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

पत्रांक 1622 / 12-1

दिनांकित। 4/11/15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्डिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी देहरादून।
- 2:- उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
- 3:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० गैरसैण।

(एस.एस. रसाईली)
निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित मैखोली से नलगांव-लखेड़ी वासीसेम मोटर मार्ग निर्माण हेतु
2.152 है0 वन भूमि हस्तान्तरण

14	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हॉ
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हॉ
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित मोटर मार्ग का निरीक्षण दि0 03.11.2015 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री सुरेन्द्र लाल, उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौचर, उप प्रभाग एवं श्री प्रताप सिंह बुटोला, उप वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज मौके पर उपस्थित थे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या न्यून करने के उद्देश्य से मौके पर अन्य वैकल्पिक संरेखण उपयुक्त नहीं पाया गया। प्रस्ताव में संलग्न भारत सरकार के प्रपत्र भाग-2 में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा दी गयी टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी सहमत हैं। अतः उक्त वर्णित मोटर मार्ग निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं स्थानीय वृक्ष प्रभावित न होने पाये, तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण चयनित स्थलों पर सावधानी पूर्वक किया जाय।

तिथि..... 4-11-2015

स्थान—गोपेश्वर।

(एस.एस. रसाईली)
निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

भाग—2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति -		नलगाँव- लखेड़ी-वासीसेम
(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र		उत्तराखण्ड
(ii) जिला		चमोली
(iii) जिला वन प्रभाग		केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	2.152	
2. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः		वन पंचायती भूमि
3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:		संलग्न।
(i) वन का प्रकार		वन पंचायती
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व	5	
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना		संलग्न।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा		संलग्न।
4. भूक्षण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी		भूक्षण की संभावना कम है।
5. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	2.00 किमी	
6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :		नहीं।
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा :	गुलदार, हिमालयी भालू, सेही, शूकर, मार्टन, 250 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ आदि।	
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं।	
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं	
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं।	
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	गुलदार, हिमालयी भालू, सेही, शूकर, मार्टन, 250 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ आदि।	

7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण—पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) ?	नहीं।
8. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	निम्नाँनुसार न्यूनतम है।
(i) क्या भाग— 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	न्यूनतम है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	याचित भूमि न्यूनतम है।
9. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	नहीं।
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं)	नहीं।
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	नहीं।
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं)	लागू नहीं।
10. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	संलग्न है।
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः	सिविल सोयम भूमि
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	सिविल सोयम भूमि
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	संलग्न।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां / नहीं)।	संलग्न।
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	रु0 7,19,420.00
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण—पत्र संलग्न हैं (हां / नहीं)।	संलग्न।
11. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)।	संलग्न।
12. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

स्थान:

तारीख:

पंज दल संरक्षक
हस्ताक्षर नाम श्री संतोष मुख्य
केवरनाथ वन्य जीव संग्रहालय
गोपेश्वर

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For forest land to be diverted under Forest Conservation Act, 1980)

A proposal has been received by this office from PWD, Gairsain for diversion of 2.152 Ha. of Forest land under Forest Conservation Act, 1980 for non-forestry purpose. The project envisages transfer of Forest land of Van Panchayat for Motor road from Maikholi to Nalgaon Lakhari Wasim. I have carried out the site inspection of the land required on date

Upon inspection of the site, the following has come to light:

1. It is found that the land required by the user agency is a ~~RPPN~~ Unclassed/Protected Forest. The break-up of the land is as under:

The Reserve forest	0.00 Ha
Civil forest	0.00 Ha
Van Panchayat forest	2.152 Ha
Total required Forest Land	2.152 Ha

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna in the area. If, so the details there of. Leopard, Bear ,Marten, Barkingdeer etc.

Whether any protected archeological/ heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC from competent authority, if required. None.

- a) The user agency ~~has violated / has not violated~~ ✓ the provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal:

~~Recommended/Not Recommended/ Recommended subject to the following conditions:~~

- 1- Muck disposal plan be strictly adhered to.
- 2-No land other then the proposed be used for the work.
- 3-No other activity-other than the one for which the land transfer is being sought, be conducted without adequate necessary formalities.



(Signature)

Place: Gopeshwar
Date: -13-07-2015

Name: Akash Kumar Verma, IFS
Designation: Deputy Conservator of Forests,
Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar.

Office Seal:
उप वन संरक्षक
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-0545/2015

1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand

- (i) State / Union Territory : Uttarakhand
- (ii) District : Chamoli
- (iii) Forest Division : Kedarnath Wild Life Division,Gopeshwar
- (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 2.152
- (v) Category : Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion :

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Kedarnath Wild Life Division,Gopeshwar	2.152	Village Forest

Division 1. : Kedarnath Wild Life Division,Gopeshwar

3. District wise area to be diverted in the division :

S. No.	District	Area(ha.)
1	Chamoli	2.152

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(ii) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	2.152	0.5	Eco 5

S. No.	Scientific Name	Local Name	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Quercus leucotrichophora	Banj	46	22	11	0	0
2	Pinus roxburghii	Chir	37	40	69	44	8
3	Alnus Nepalensis	Uttesh	4	0	5	5	1
4	Misc. Species	kukat	37	38	34	16	0

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : No Data

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : Middly prone to erosion

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 1.50

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view :

- (i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : Leopard, Marten Barking deer, Bear etc.
- (ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve,tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive

- (iii). zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act,1972
 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified,then,10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No
- (iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No
- (v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : Yes

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the area, if any :

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion :

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes

11. Details of violation(s), if any ,committed :

- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : No Data

13. Details of compensatory afforestation scheme :

Additional information Details :

S. No.	Documents	Remarks
		NIL

14. District Profile :

S.no	District Name	Geographical area of the district (in ha.)	Forest area of the district (in ha.)	Total forest area diverted since 1980 (in ha.)	No. of Approved Cases	Forest Land including penal C.A. (in ha.)	Progress of compensatory afforestation as on(date)	A) Forest land (in ha.)	B) Non-forest land (in ha.)
1	Chamoli	803000	514792	1031.955	247	434.32	21/09/2015	434.32	0

15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land :

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Kedarnath Wild Life Division,Gopeshwar	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	DFO	Yes	One		13/07/2015

	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	CF	Yes	One		03-11-2015
--	--	----	-----	-----	--	------------

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with(Part II,III & Part IV))

16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason :

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Kedarnath Wild Life Division,Gopeshwar	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	DFO	Recommended	In Public Demand		
	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	CF	Recommended	In Public intrest.		Yes

[Print page](#)

□

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the
Forest(Conservation) Act,1980 for Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details

A- Project Details

1.

(i). Proposal No. : FP/UK/ROAD/9811/2015

(ii). Name of Project for which Forest Land is required : Construction of Makholi to Nalgaon lakheri Wasisem Motor road

(iii). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required : Construction of Makholi to Nalgaon lakheri Wasisem Motor road under state sector

(iv). State : Uttarakhand

(v). Category of the Project : Road

(vi). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(vii). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 75.6

(viii). Total Area of Forest Land proposed for diversion(in ha.): 2.152

(ix). Non-Forest Land required for this project(in ha.): 2.632

(x). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): NIL

A- Details of User Agency

2.

(i). Name : PWD CD GAIRSAIN

(ii). Address1 : Construction Division PWD Gairsain

(iii). Address2 : NIL

(iv). State : Uttarakhand

(v). District : Chamoli

(vi). Pin : 246428

(vii). Landmark : NIL

(viii). Email address : eecdpwdgairsain@gmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 278533

(x). Fax No. : NIL

(xi). Mobile No. : 9897163389

(xii). Website (if any) : NIL

(xiii). Details of Proposals seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land submitted by the User Agency in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

(xiv). Legal status of User Agency : State Government

A- Details of Person Making Application
3.

(i). First Name: Kishore

(ii). Middle Name: NIL

(iii). Last Name: Kumar

(iv). Gender: Male

(v). Designation: Assistant Engineer

(vi). Address 1: Construction Division PWD Gairsain

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Uttarakhand

(ix). District: Chamoli

(x). Tehsil: Gair Sain

(xi). Pin: 246428

(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: eecdpwdgairsain@gmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 278533

(xv). Fax No.: NIL

(xvi). Mobile No.: 9897163389

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency:



B. Details of land required for the Project

B- Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for
 1. diversion of forest land for the Project already submitted in the past

(i). Whether any proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land required for the project has been submitted in the past?. : No

B- Details of forest land proposed to be diverted
 2.

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Kedarnath Wild Life Division,Gopeshwar	2.152	2.632

B-2.2 Details of Districts involved

District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Chamoli	2.152	2.632

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Maikholi-Khinsar-Nalgaon lakhedi	2.152	2.632

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup			
S.no	Component	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Road	2.152	2.6316

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar									
<p>(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 2.152</p> <p>(ii). : Linear</p> <p>(b). No. of Segments : One</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Segment wise details</th> </tr> <tr> <th>Segments</th> <th>Segment Area(in ha.)</th> <th>Kml File of Segments</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>2.152</td> <td style="text-align: center;"> View File</td> </tr> </tbody> </table> <p>(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: </p> <p>(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: </p>	Segment wise details			Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments	1.	2.152	 View File
Segment wise details									
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments							
1.	2.152	 View File							

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

- (i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 
- (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided: Yes
- (a). Copy of map indicating location of alternative examined: 

E. Employment likely to be generated

- (i). Whether the Project is likely to generate employment ?: Yes
- (ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 100
- (iii). Temporary Employment(Number of person-days): 30000

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ?: No

I. Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : No

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentary evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted:



L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: Yes

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ?: No

(iii). No. of districts involved for raising Compensatory Afforestation: 1

(iv). No. of patches: One

District 1. : Chamoli

(a). Village: Dadiyal Gaon

(b). Area(in ha.): 5.534

(c). Copy of KML file of the patch:  [View File](#)

(d). Khasra details: 519

(e). Present owner: Others

(f). Copy of ownership proof: 

(g). Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency: 

(h). Copy of non encumbrance certificate for the forest land: 

(v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS or Total Station: 

(vi). Copy of Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale indicating location of the land identified for creation of Compensatory Afforestation: 

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		complete proposal

[Print page](#)